Economic Development of Backward States

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Now, we take up next Resolution - Resolution No. 2. Dr. Prabha Thakur.

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करती हूं:–

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश की स्वतंत्रता के पांच दशकों से भी अधिक समय बीत जाने और नौ पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित होने और चल रही दसवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी ऐसे अनेक इलाके, क्षेत्र और राज्य हैं जो अभी भी अल्पविकसित और पिछड़े हुए हैं;

(क) राजस्थान जैसे अकाल और सूखाग्रस्त राज्य जहां बहुत कम और सामान्य से कम वर्षा होती है, तथा पेय जल की अत्यधिक कमी रहती है, तथा लगातार सूखे की स्थिति से अक्सर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और लगभग ऐसी ही स्थितियां उड़ीसा में भी व्याप्त हैं जहां कालाहांडी–बोलनगीर–कोरापुट (के बी के) ज़िले पिछड़ेपन, गरीबी और भुखमरी के पर्याय बन गए हैं;

(ख) सूखा प्रवण राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग बिहार, झारखंड इत्यादि, जहां भू–जल का स्तर काफी नीचे चला गया है तथा जहां जल, चारा और अन्न की कमी रहती है;

(ग) जहां कृषि वांछित स्तर तक विकसित नहीं हुई है तथा दोषपूर्ण खरीद नीतियों के कारण कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है जिसके परिणामस्वरूप वे गरीब और शोषित रह जाते हैं;

(घ) जहां अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में उद्योगीकरण नहीं हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक पिछड़ापन है;

(ङ) जहां अधिकांश लोग गरीब हैं तथा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं;

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि:–

(i) वह अल्पविकसित, पिछड़े और गरीबी से ग्रस्त इलाकों, क्षेत्रों और राज्यों का प्राथमिकता के आधार पर समग्र विकास करने के लिए एक दीर्घावधि कार्ययोजना तैयार और उसे कार्यान्वित करे तथा आर्थिक पैकेज जारी करे तथा राजस्थान, उड़ीसा आदि राज्यों को उनके तीव्र विकास हेतु विशिष्ट श्रेणी का दर्जा प्रदान करे;

(ii) प्राथमिकता के आधार पर सूखा–प्रवण क्षेत्रों का विकास करे, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के जल

—1161/03+/8

का अनिवार्य संरक्षण करे और झील, तालाबों, कूओं जैसी जल संरक्षण अवसंरचनाओं का परिनिर्माण करे तथा नहरों और नदियों को जोड़ने के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करे एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करे;

(iii) ऐसे क्षेत्रों में निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करे;

(iv) ऐसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि को बढ़ावा दे और समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम०एस०पी०) पर किसानों द्वारा प्रदत्त समस्त उपज की खरीद करे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन शामिल न की गई ऐसी फसलों के लिए अनिवार्य बाजारी हस्तक्षेप लागू करे;

(v)ऐसे क्षेत्रों में अवसंरचना के विकासार्थ पर्याप्त केन्द्रीय अनुदान आवंटित करे और ऐसे पिछड़े इलाकों, क्षेत्रों, राज्यों के तीव्र उद्योगीकरण हेतु समुचित प्रोत्साहन प्रदान करे;

(vi) ऐसे क्षेत्रों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को बड़े ज़ोरदार ढंग से लागू करे और शैक्षिक सुविधाएं, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख तथा अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करे।''

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं संक्षेप में इसके विषय में बताकर, इस पर चर्चा आरंभ करना चाहूंगी। आज़ादी के 50 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, 9 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद, जब कि यह दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसके बावजूद अभी तक देश में ऐसे कई इलाके, कई ज़िले और कई राज्य हैं, जो अभी तक कई दृष्टियों से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जल संसाधनों और विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और अल्पविकसित हैं, उनके विषय में मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रही हूं। मैं इसके द्वारा उन विषयों को रेखांकित कर रही हूं, जैसे जो सूखाप्रवण क्षेत्र हैं, उनको कैसे विशेष राज्य का दर्जा सरकार द्वारा दिया जाए और कैसे उनको विशेष पैकेज देकर बदहाली से उबारा जाए। मैं इस संकल्प के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की बात भी कर रही हूं। इस UPA सरकार का यह संकल्प है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े तबके हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो भी समाज के कमजोर और शोषित तबके हैं, जो गरीब, युवा और नौजवान हैं, जो पढ़ाई के बावजूद बेरोज़गार भटक रहे हैं, उन्हें कैसे रोज़गार मिले और गरीबी उन्मूलन हो। हालांकि जो गरीबी रेखा है, उससे लोग ऊपर उठे हैं और गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि और गरीबी उन्मूलन हो और कम से कम वे लोग जो नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोज़गार के अधिक अवसर मिलें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी में एक विषय है जल संसाधनों की वृद्धि, क्योंकि जल संसाधनों पर

ही कृषि भी निर्भर करती है और पेयजल पर जीवन निर्भर करता है। जो स्वच्छ पेयजल और जल संसाधनों के बारे में भी मैं अपने इस संकल्प में कहूंगी। कृषि विकास और किसानों की बदहाली की हालत में सुधार, यह एक विशेष विषय है, जिस पर UPA सरकार का भी विशेष ध्यान है और यह आम बजट में भी देखने में आया है, इस पर भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगी।

उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रही हूं ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास कि लिए, रोजगार के अवसरों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से जो भी पिछड़े राज्य हैं उन्हें विकसित राज्य बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए, उन्हें केन्द्रीय सरकार से विशेष रियायतें, सुविधाएं और साधन दिए जाएं, विशेष वित्तीय सहायता दी जाए। इन बातों को लेकर इस विषय पर मैं अपना यह संकल्प प्रस्तुत कर रही हूं। महोदय, मेरे संकल्प का जो विषय है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी अगर हम देखें तो जो आज इस देश की प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिक जरूरतें हैं, उनके अभिभाषण में उनकी गूंज है, उनका विशेष उल्लेख हैं चाहे वह जल संरक्षण की बात हो, कृषि के उत्थान की बात हो, किसानों को बदहाली से उबारने की बात हो, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी अवसंरचना का विकास, ऊर्जा संरक्षण, औद्योगिक विकास और विशेष रूप से औद्योगिक विकास में भी स्वदेशी पर जोर ताकि हर चीज कैसे भारत में ही निर्मित हो, रोज़गार के अधिक अवसरों का सृजन हो, यह संकल्प, यह विशेष उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनकी गूंज सुनाई दी है, जिससे कि पूरे देश की जनता, जो गरीब जनता है, जो किसान तबका है, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनमें एक नई आशा का संचार हुआ है। कांग्रेस की नेता तथा यूपीए की चेयरमैन आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो संकल्प है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, यूपीए के घटक दलों की जो मंशा है और यूपीए सरकार की जो साझा नीति है, उसमें ये तमाम प्राथमिकताएं हैं, जो आम बजट में स्पष्ट झलकती हैं। आम बजट में इन तमाम बातों को सुन कर और समझ कर आज आम जनता इस सरकार से यह अपेक्षा रख रही है कि "वफा करो, कुछ वफा की बात करो; हमारे दर्द को देखो, दवा की बात करो"। आम बजट में जिस तरह की बातें कही गई हैं, उससे, और जिस तरह का भाव रहा है, भावना रही है, सोनिया गांधी जी का जो उदाहरण रहा है, एक सर्वोच्च पद को त्यागने का और उनका सेवा का संकल्प, क्योंकि वे यूपीए के गठबंधन की चेयरमैन भी हैं, जो जनता में इस बात को लेकर और अधिक विश्वास जगा है कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहेगा और सरकार ने जो वायदे किए हैं, वह उनको पूरी तरह निभाएगी। एक वायदा जो कि समग्र विकास को रेखांकित करता है, जिसके विषय में मैंने एक जगह पढ़ा, अहलुवालिया ज़ी ने कहा है, मैं हमारे सदन के माननीय सदस्य अहलुवालिया जी की बात नहीं कर रही हूं, मैं श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी की बात कर रही हूं, उन्होंने कहा है कि बजट के अनुरूप ही जेसा कि वित्त मंत्री जी, जैसा कि सरकार

का संकल्प है, उसके अनुरूप 2008-2009 तक राजस्व घाटे की पूर्ति कर ली जाएगी। यह एक समग्र विकास का संकल्प, इस बात में नज़र आता है कि कितना विकास होगा, तब कहीं जाकर ऐसी स्थिति बनेगी। पूरे देश ने इस बात का स्वागत किया है और सरकार की नीतियों का स्वागत किया है।

सरकार ने पिछड़ा राज्य अनुदान निधि कोष की स्थापना की जो घोषणा की है, उससे यह संकल्प नजर आता है कि सरकार की मंशा है कि पिछड़े राज्यों को आगे लाने की श्रेणी में उनको विकसित करने के प्रति वह गंभीर है। राज्यों को केन्द्रीय कर्ज़ों पर ब्याज दरों में कटौती करके इस सरकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। उन राज्यों को, जो हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कमज़ोर और पिछड़े हैं, उन राज्यों के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता, मान्यवर, अगर ध्यान से देखें तो कि उनको केन्द्र द्वारा जो कर्ज दिए जाएंगे, उन पर उनको जो ब्याज की दर है, उसमें कटौती की गई है। इस प्रकार राज्यों को आगे बढ़ने का अवसर दिया और एक बहुत बड़ी राहत दी है, आम जनता के लिए। यह इस सरकार का एक ठोस कदम और सकारात्मक पहल है, आम जनता के लिए, पिछड़े राज्यों के विकास के लिए। पिछड़े राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और ग्रामीण और शहरी विकास क्षेत्र में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है, उसे मजबूत करने के लिए और समग्र विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के कोष की स्थापना का संकल्प सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने दिखाया है। एक बिहार ही के लिए 3225 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कहा जा सकता है कि कई बड़े राज्य सरकार पर बोझ बन गए हैं। हालांकि इन राज्यों के अपने भी कई संसाधन हैं, लेकिन अनेक बार भ्रष्टाचार के कारण या उन संसाधनों का ठीक से उपयोग ने किए जाने के कारण वह प्रदेश बदहाली तक पहुंच जाता है और उसका दुष्प्रभाव वहां की जनता भोगती है। इसलिए ऐसे राज्यों को भी चाहिए कि हर बात के लिए केवल केन्द्र की ओर ही न देखें बल्कि अपने संसाधनों को विकसित करें और अपने प्रदेश से भ्रष्टाचार के सिस्टम को दूर करें ताकि जो राशि केन्द्र द्वारा उसके विकास के लिए दी जाती है, उसका लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे जिसके विकास के लिए वह पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। यह न हो कि "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की" वाली कहावत चलती रहे। केन्द्र सरकार जितना भी पैसा देती जाय, लेकिन राज्य सरकार वहीं-की-वहीं बदहाली की हालत में है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, इस बदहाली की स्थिति के लिए, भ्रष्टाचार के अलावा एक और स्थिति ज़िम्मेदार है और वह है जनसंख्या पर पूरे तौर पर नियंत्रण न हो पाना। महोदय, हमारा देश बहुत विशाल है, यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो वह होने वाले विकास को लील जाएगी। जितना भी पैसा विकास के कार्यों पर खर्च होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण वह पूरा बराबर हो जाता है। इस बारे में जनता में एक चेतना लाना, awarene लाना बहुत जरूरी है। चाहे एक संचार साधनों के माध्यम से हो या प्रचार-प्रसार प्रणाली के अन्य माध्यम से हो, जनता में यह चेतना लाना जरूरी है ताकि सरकार जो

पैसा दे – चाहे वह केन्द्र सरकार का पैसा हो या राज्य सरकार का हो, उस राज्य को उसका लाभ मिले। इसके लिए जनता में जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रति चेतना होना जरूरी है।

मान्यवर, मैंने अपने संकल्प में कृषि और ग्रामीण विकास की बात कही है। इस देश को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में आज भी 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं या कृषि आधारित उद्योगों में लगे हैं। लेकिन कृषि प्रधान देश के किसानों की बदहाली का कारण यह है कि कृषि उत्पादकता में यह कृषि प्रधान देश बहुत पीछे है और उसका कारण यह है कि यहां के किसान आज भी वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं। हमारे यहां जल-संसाधनों की कमी है और किसान आर्थिक रूप से कमजोर है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर अपना गांव गरीब है, अपना किसान गरीब है तो समझिए कि सारा देश गरीब है और इस देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। यह देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तभी खड़ा हो सकता है, जब यह कृषि के क्षेत्र में विकसित हो और केवल आत्म-निर्भर होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि यहां का किसान पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो जाए, वह खुशहाल हो जाए, तभी समझिए कि इस देश का समग्र विकास होगा। महोदय, मैं यहां राजस्थानी में लिखी अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूं जोकि मैंने किसानों की बदहाली को देखकर लिखी थीं। महोदय, किसानों की स्थिति यह है कि:

तन से पसीनो, नैना नीर झरै
खेतों रा रूखाला बीरा भूखा क्यूं मरै।

महोदय, यह एक सवाल है कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को अन्न देता है वही अन्नदाता भूखा क्यों है? इस संबंध में यू०पी०ए० सरकार के साझा कार्यक्रम में जो प्राथमिकता दी गयी है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। कई वर्षों बाद पहली बार किसी बजट में यह बात आयी है कि किसानों को बदहाली से मुक्त कराने के लिए सचमुच में एक गंभीर कोशिश दिखायी दे रही है और इससे किसानों को एक नया सम्बल मिला है। मान्यवर, हताशा की स्थिति तब हो जाती है जब हमारा किसान जो कि जमीन तोड़ता है, बीज बोता है, अपने मोटर, ट्रैक्टर के लिए डीजल महंगे भाव में खरीदता है, बिजली का बिल भरता है, महंगी खाद खरीदकर डालता है, उसका पूरा परिवार दिन-रात मेहनत-मजदूरी करता है, यहां तक कि उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को भी वहीं खेत में पेड़ की डाल पर पालना डालकर सुलाती है और अपने पति के साथ कंधे-से-कंधा लगाकर मेहनत-मजदूरी करती है। बच्चे स्कूल न जाकर खेत में मजदूरी करते हैं , किसान खून-पसीना बहाता है, रात-रात भर आंधी, पानी में जागकर खेती की सिंचाई करता है, खेती की रखवाली

करता है और फसल काट कर बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काट-काट कर परेशान हो जाता है और उसे अपनी फसल का सही मूल्य तक भी नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा परिश्रम करता है किसान और सबसे कम लाभ भी इस देश में जिसको मिलता है, वह भी है किसान।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति से किसानों को उबारने के लिए यू॰पी॰ए॰ सरकार ने जो संकल्प जताया है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की इस मंशा से किसानों को लाभ मिलेगा। यह देखा गया है कि कभी अनावृष्टि है, कभी अकाल है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी कीड़े फसल खा जाते हैं और अगर फसल हो भी जाती है जो उसके उचित मूल्य के लिए किसान दर-ब-दर भटकता फिरता है। कई बार तो ऋण न चुका पाने की हताशा में वह आत्महत्या तक कर बैठता है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में किसानों द्वारा आत्महत्या की इस तरह की बातें सुनकर, मैं सोचती हूं कि विदेशों में बैठे लोग क्या सोचते होंगे, यह कैसा कृषि प्रधान देश है, जहां किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है? ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी लाचारियां हैं, जो इस देश के अन्नदाता को, किसान को आत्महत्या की ओर ले जाने के लिए मजबूर करती हैं? मैं चाहती हूं कि ऐसी स्थिति से किसान मुक्त हो और किसान खुशहाल हो, तभी यह देश खुशहाल होगा। इसलिए कृषि को प्राथमिकता देना बहुत अनिवार्य है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे निर्धन राज्यों को केन्द्र सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जानी चाहिए ताकि ये राज्य निर्धनता की स्थिति से उबर सकें और आगे आ सकें। यह एक करोड़ हैक्टेयर की भूमि को जो सिंचित क्षेत्र में लाने का संकल्प इस सरकार ने दिखाया है, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और कई किसानों का उससे भला होगा। यह अपने आपमें एक अनोखी घोषणा है, बहुत अच्छी घोषणा है। इसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही बजट में रोजगार-उत्पादक विकास को प्राथमिकता दी गई है। मैं यह कहना चाहूंगी कि कृषि के साथ ही जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जो डेरी उद्योग है, यह किसानों का दूसरा सहारा है। डेरी उद्योग को पूरा प्रोत्साहन देने के लिए पूरी सुविधाएं और रियायतें राज्य सरकारों द्वारा भी दी जानी चाहिएं और केन्द्र सरकार द्वारा भी दी जानी चाहिएं। किसानों की खुशहाली के लिए जरूरी है कि बिजली की दरों पर नियंत्रण रखा जाए, डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। जब हम सूखा प्रवण क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें अन्य कई राज्यों की भांति राजस्थान का भी नाम आता है। राजस्थान राज्य निरंतर अकाल से जूझता रहता है। ...(व्यवधान)... सर, मैं चाहूंगी कि

माननीय सदस्य भी मेरी बात सुनें, जो मैं कह रही हूं। राजस्थान कुछ राज्यों की भांति एक सूखा प्रवण क्षेत्र है, जो निरंतर अकाल से ग्रस्त रहता हैं, निरंतर यहां अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ता रहता है और इस कारण से वहां का भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। जल-संसाधनों की कमी वहां हो गई है। झीलें, कुएं, बावड़ी, हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे राज्य को जल-संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े राज्य की श्रेणी में लिये जाने की आवश्यकता है। ताकि केन्द्र सरकार से उसे विशेष रियायतें और साधन प्राप्त हो सकें।

महोदय, जब हम जल संसाधनों की बात करते हैं तो मुझे ''रहीम'' का एक प्रसिद्ध दोहा याद आता है, सभी उसे जानते हैं:-

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,

पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।

जो है, सब पानी की ही महिमा है। अगर हम कहें कि किसी मनुष्य की मूलभूत प्राथमिकता हवा के बाद पानी ही है, तो गलत न होगा। अन्न भी पानी से ही जुड़ा हुआ है। जल है तो अन्न है, जल है तो जीवन है। जल से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती है। जल है तो पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सब जीवित हैं। पानी है तो हरियाली है, पानी है तो पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, पानी है तो ही बिजली का उत्पादन हो सकता है, जिस बिजली के कारण उद्योग-धंधे चलते हैं। उद्योगों को विकसित करने की बात कही जा रही है, ये उद्योग धंधे तभी विकसित हो सकते हैं, जब जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में हों। यह सब पानी की माया है, पानी की महिमा है, लेकिन अभी दो दिन पहले ही ''जल दिवस'' बीता है, बड़ी चिंता की बातें उसमें आई और यह चिंता का विषय है ही। महोदय, बड़ी चिंता होती है, जब हम यह सुनते हैं या ऐसे लेख पढ़ते हैं, जिनमें यह बात मिलती है कि 20 वर्ष बाद शायद विश्व में ऐसी स्थिति बन सकती है कि अगर कभी अगला विश्व युद्ध कोई हुआ, तो वह पानी के लिए हो सकता है। यह कितनी खतरनाक स्थिति की ओर इशारा है। पानी की इस गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक है। आज भी कहा जाता है कि विश्व के दो तिहाई भू-भाग के लोग स्वच्छ जल पीने से वंचित हैं। 8 सैकंड में एक मौत प्रदूषित जल को पीने से हो रही है। जल संसाधनों के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है-नदी एकीकरण योजना, नदियों को आपस में जोड़ना। किसानों को वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि नदियों का एकीकरण हो और इसको लेकर राजनीति न हो। राजनीति बहुत हो ली, महोदय। बहुत अफसोस होता है, जब प्रकृति की दी हुई देन नदियों के जल--बंटवारे को लेकर राजनीति होती है, राज्यों में अंतर्कलह होते हैं और राजनीति के कारण आपसी प्रदेशों में सद्भावना की बजाए एक दूसरे के लिए कटुता उत्पन्न होती है। महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगी और मैंने पहले कहा भी है कि नदी जल राज्यों का विषय होना ही नहीं चाहिए। किसानों की और इस देश की जनता की भलाई के लिए नदी जल का विषय केन्द्र सरकार का भी नहीं होना चाहिए,

बल्कि एक पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त बोर्ड, जल प्राधिकरण, का गठन होना चाहिए और उसे यह तय करना चाहिए कि किस प्रदेश को, कहां जरूरत है, वहां जल दिया जाना चाहिए, उसी बोर्ड में यह फैसला होना चाहिए ताकि नदी जल पर राजनीति न हो। आज भी हमारे कुछ मित्रों ने नदी जल के लिए यह कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को तो नदी जल एकीकरण योजना में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक दक्षिणी राज्यों को इस परियोजना में नहीं जोड़ा गया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह बड़ी महत्वाकांक्षी, बड़ी लम्बी परियोजना आरम्भी हुई है, इस परियोजना का अभी चतुर्थ चरण चल रहा है और हमारे जो माननीय मंत्री जी है, श्री प्रियरंजन दास मुंशी, ये न तो उत्तर प्रदेश से हैं, न मध्य प्रदेश से हैं और न ही राजस्थान से हैं, ये राजनीति या प्रदेश से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नदी जल एकीकरण के लिए जो भी तकनीकी सुझाव प्राथमिक चरण के बारे में आए होंगे,उनके आधार पर यह कार्य हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल सबको मिले–उत्तर प्रदेश को मिले, पूर्व को मिले, दक्षिण को मिले, वहां भी यह योजना पहुंचे, वहां भी हमारे जो किसान हैं, वे आत्महत्याएं न करें, वहां भी नदी जल का एकीकरण हो और जल्दी उन्हें इसका लाभ मिले और सरकार इस विषय को प्राथमिकता देकर कार्य करे। इस परियोजना की शुरुआत तब हुई थी, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। तब यह सोच आई थी, प्रोफेसर राव ने इसका एक नक्शा भी तैयार किया था, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में इस योजना पर कार्य नहीं हुआ और इस योजना को, इस परियोजना को, सरकार को प्राथमिकता देकर पहले नम्बर पर लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसे कितनी तेज गति से, कितनी त्वरित गति से पूर्ण किया जा सके ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जल मिल सके, वरना कहीं तो बाढ़ है, कहीं सूखा है। ये सभी समस्याएं खत्म हों और जल का संतुलन बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि इस परियोजना पर बहुत प्राथमिकता से कार्य हो और कम से कम जल को लेकर राजनीति न हो।

मान्यवर, कई प्रदेशों में जहां पृथ्वी में जल बहुत नीचे चला गया है, कई जगह पेय जल की हालत यह है कि लोग फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, लोग प्रदूषित पानी पी रहे है। कुएं, बावड़ी, जो प्रदूषित हो गए हैं, वहां के लोग उसी पानी को पीने के लिए विवश हैं, क्योंकि प्यासे मरने की बजाय वे समझते हैं कि पानी के माध्यम से अगर जहर भी मिल रहा है, तो भी पी कर ही मरें। अगर मरना ही है तो कम से कम पानी पीकर तो मरें, प्यासे तो नहीं रहा जा सकता। उस स्थिति में, बेबसी में, वे क्या करें? महोदय, अगर आजादी के इतने सालों बाद भी देश के आम आदमी को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध न हो, तो मैं समझती हूं कि यह सारा विकास व्यर्थ है। सभी जानते हैं कि यदि स्वच्छ पेय जल न मिले तो कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, कितने आदमी तकलीफ पा सकते हैं। किडनी, लीवर, आंतें, रक्त संबंधी कितने ही किस्म के रोग हो सकते हैं और शनैः शनैः व्यक्ति उन रोगों के कारण मर सकता है। वह न तो कोई इलाज करवा सकता है, जो व्यक्ति स्वच्छ जल तक नहीं पी सकता, वह इलाज क्या करवाएगा? महोदय, इसके लिए कि वे फ्लोराइड युक्त पानी न पीयें, प्रदूषित जल न पीयें, इस देश की जनता को कैसे भी, कहीं से भी, स्वच्छ जल मिले, इसका प्रबंधन

सरकार द्वारा करना आवश्यक है। यह केवल केन्द्र सरकार का ही दायित्व नहीं है, यह राज्य सरकारों के लिए भी गंभीर विषय है। लेकिन, हां, केन्द्र सरकार से मेरा यह आग्रह अवश्य है कि राजस्थान जैसे प्रदेश या झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में, जहां पेयजल की दृष्टि से लोग इस तरह का प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश हैं, ऐसे तमाम क्षेत्रों में अथवा जिलों में, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसके लिए चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, किन्तु नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिले।

एक बहुत ही अच्छी जो परियोजना है, स्व-जलधारा की, जो ग्रामीण अंचलों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें पेयजल मिले, लेकिन उसका लाभ ग्रामीण अंचलों को मिल नहीं पाता है। मान्यवर, इसलिए नहीं मिल पाता है कि उसमें जो 10 प्रतिशत राशि, जो गांव के लोगों को इकट्ठा करनी होती है, किन्तु जो अकाल के मारे हुए लोग हैं, और अगर परियोजना पांच लाख की है, तो 50 हजार रुपये वे कहां से इकट्ठा करेंगे? मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो विधायकों का या सांसदों का कोष है, अगर जनता के द्वारा वह भागीदारी 10 प्रतिशत की न की जा सके, तो उस स्थिति में उन्हें यह छूट होनी चाहिए कि वह 10 प्रतिशत की राशि सांसद कोष द्वारा या विधायक कोष द्वारा दी जाए ताकि गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके।

महोदय, राजस्थान एक रेतीला प्रदेश है, वहां का अधिकांश भाग मरूभूमि का है, लगातार अकाल पड़े रहते हैं और एक वीर प्रदेश है, जिसने तमाम परमाणु परीक्षणों के खतरों को हंसते-हंसते राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सहा है, कभी वहां की जनता ने उफ तक नहीं किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु परीक्षणों के बाद प्रकृति में उसके कई तरह के विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, जिससे कि प्रकृति, मानसून इत्यादि सबका संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से उसके कुछ भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम खतरों को राजस्थान की जनता ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए झेला है। वहां की जनता को यह अवसर मिलना चाहिए, यह उपहार केन्द्र सरकार की ओर से मिलना चाहिए कि उसे जल की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रखा जाये और उसे पेयजल के लिए पानी के लिए विशेष राशि, विशेष पैकेज दिया जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कई लक्ष्मीपति इस देश में हैं। इस देश के लोग यहां भी हैं और बाहर भी रहते हैं, बहुत से एनआरआईज हैं, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वे चैरिटी भी करना चाहते हैं, इस देश के लोग भी चैरिटी करना चाहते हैं, उसमें उनको सौ फीसदी छूट मिलनी चाहिए। मैं यह चाहूंगी कि केन्द्र सरकार द्वारा उन लोगों को इनसेंटिव दिया जाये, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये कि वे जिस तरह से भी जल संसाधनों के लिए, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, चाहे तो किसी गांव को गोद ले लें, किसी पंचायत को गोद ले लें, इसके लिए वे जिस तरह भी धन लगाना

चाहते हैं, उसमें प्रशासन और सरकार पूरा सहयोग करे। कई बार प्रशासनिक उपेक्षा भी होती है, उसमें सहयोग के बजाए नुक्ताचीनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वे लोग और संस्थाएं हताश होकर वापस लौट जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस कार में उनकी मदद ली जाये, उनको करों में राहत दी जाये, उनका सम्मान किया जाये, उनका अभिनंदन किया जाये, जो जनता को पानी पिलाने के लिए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में योगदान देते हैं।

वाटर टैंक्स, जहां से पानी की सप्लाई होती है, वहां यह देखना जरूरी है कि पानी की टंकियों से जहां से शहर को पानी की सप्लाई हो रही है, वहां पर पानी फिल्टर करने के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए ताकि स्वच्छ पेयजल लोगों को मिले। हालांकि वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुये हैं, वाटर हारवेस्टिंग की, जल संरक्षण की कई योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास के तहत उनका उपयोग हो रहा है। राजस्थान में भी टैंक्स में जल संरक्षण किया जाता है। किसानों ने भी व्यवस्था की है कि खेत का पानी खेत में सिंचाई के लिए रखा जाये, लेकिन इससे एक और खतरा बढ़ रहा है। खेत का पानी खेत में रहे, इसका एक यह भी दुष्प्रभाव हो रहा है कि पानी की जो सहज गति है, जिसके कारण झीलें भरती हैं, तालाब भरते हैं, कुएं-बावड़ी भरते हैं, उस गति में इससे अड़चन आई है। इसके कारण यह हुआ है कि जिस गति से पानी तालाब, कुएं-बावड़ो तक पहुंचना था, वह नहीं पहुंच पा रहा है। इसका यह एक नकारात्मक पहलू सामने आया है। इसीलिए मैं समझती हूं कि कितने भी उपाय किये जायें, जो वर्षा का जल है, उसके वरदान के बिना सरकार कितने भी उपाय करे, लेकिन स्थाई और दूरगामी उपाय तो नदियों के जल का एकीकरण करना ही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हो या पर्वतीय राज्य हों अथवा उत्तर पूर्वी राज्य हों, पानी की आवश्यकता सभी को है। उन पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों की भांति राजस्थान को भी उसी श्रेणी में रखा जाना आवश्यक है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हर आठ सेकेंड में अस्वच्छ जल पीने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो यह समस्या एचआईवी, एड्स आदि बीमारी से भी भयंकर बीमारी है, अधिक गंभीर बीमारी है। इसको सरकार को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस दिशा में जितनी जल्दी हो सके काम होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आगे शिक्षा की बात करना चाहती हूं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो मैंने शिक्षा के जो आंकड़े देखे, उनसे पता लगा कि अभी भी अनेक प्रदेशों में लाखों लोग निरक्षरता की श्रेणी में आते हैं, हालांकि केवल अक्षर ज्ञान होना, किसी का शिक्षित होना नहीं कहा जा सकता, शिक्षा से जहां एक ओर ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन ज्ञान अर्जित होने तक ही शिक्षा काफी नहीं है। शिक्षा उसे कहा जाता है, जो शिक्षा रोजगारोन्मुखी भी हो, जो लोगों को रोजगार दे, जिस शिक्षा को पाने से व्यक्ति को रोजगार मिले, तभी उस शिक्षा का व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ है। यह आवश्यकता है कि शिक्षा व्यावहारिक, रोजगारोन्मुखी और लोगों को काम दिलाने वाली हो। सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान चलाने का, यूपीए सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान की जो शुरुआत करने का संकल्प दिखाया है और इस अभियान को जो तेज गति दे रहे हैं, सर्व शिक्षा

अभियान को .....(व्यवधान).... पिछली सरकार के अभियान में जो भी कमी रही होगी, जनता सब देखती है कि किसने वादे कर लिए, किसने पूरे नहीं किए, उसी हिसाब से जनता अपना जनादेश देती है। जनता पिछला जनादेश दे चुकी और आज बड़ी आशा के साथ जनता इस सरकार की ओर देख रही है। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष ज़ोर दिया जा रहा है, हालांकि इसके लिए समाज में भी उतनी ही चेतना की आवश्यकता है कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कोई भेदभाव न हो और समान शिक्षा के अवसर दोनों को मिलें, क्योंकि आज छात्राओं ने भी अपने नतीजों से प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी शिक्षा में उनका प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक ही है, कम नहीं।

महोदय, आज शिक्षित होकर भी बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, चाहे केरल हो, पश्चिमी बंगाल हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो–कई जगहों के आंकड़े हम देखें, तो हम देखते हैं कि जहां शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, वहां बेरोज़गारों की तादाद भी अधिक है, क्योंकि लोग शिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है। मैं प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करना चाहूंगी जो नारा उन्होंने दिया है "रोज़गार बढ़ाओ", रोज़गार के अवसर बढ़ाओ। सरकार के इस संकल्प ने देश के लाखों–करोड़ों बेरोज़गारों और नौजवानों में एक आशा जगाई है और हम सब इस घोषणा का स्वागत करते हैं। रोज़गार के अवसर बढ़ें, इसके लिए आवश्यक है कि कृषि आधारित उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले और नए–नए उद्योगों को बढ़ावा मिले। लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें विशेष रियायतें दी जाएं। हालांकि जब कृषि में इस सरक़ सबसिडी दी, तो कई विकसित राष्ट्रों ने कृषि पर सबसिडी जारी रखने की आलोचना की और कहा कि यह डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के प्रावधानों का उल्लंघन है, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात की परवाह न करते हुए किसानों को सबसिडी दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह जो यू॰पी॰ए॰ सरकार है, इसने रोजगार के मामले में भी जो वादे किए हैं और संकल्प दिखाया है, यह उसे पूरा करेगी और एस॰सी॰, एस॰टी॰ तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का जो संकल्प है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा। (समय की घंटी)

मान्यवर, मैंने अपने साथियों से आरंभ में पूछा था कि मेरे लिए, संकल्प प्रस्तुत करने वाले के लिए क्या कोई समय सीमा है, तो मुझे बताया गया था कि ऐसी कोई सीमा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): नहीं मैडम, नियमानुसार तीस मिनट की सीमा होती है और आप चालीस मिनट से भी अधिक बोल चुकी हैं, प्लीज़ कन्क्लूड।

डा॰ प्रभा ठाकुर: महोदय, मैं शीघ्र ही कनक्लूड कर रही हूं। महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहती हूं कि "पहला सुख निरोगी काया", तो स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य

के ऊपर ज़ोर देने की बात कही है। उसके ऊपर प्राथमिकता से काम करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देकर, समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लिए बजट के आवंटन में वृद्धि की है, उसका हम स्वागत करते हैं कि सरकार ने बच्चों के विकास के लिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है।.. (व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): अगर सब कुछ सरकार कर रही है तो संकल्प क्यों लाए हैं?

डा॰ प्रभा ठाकुर: आपको इसमें आपत्ति है क्या? महोदय, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज: लेकिन सरकार सुनती नहीं है, वह तो सो रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): उनको समाप्त करने दीजिए।

डा॰ प्रभा ठाकुर: मुझे तो लग रहा है कि उधर सब सो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): सर, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): टाइटलर जी बैठे हुए हैं।

श्री कृपाल परमार: सर,वे सो रहे हैं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: सो नहीं रहे हैं, वे चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और इस मामले पर जब सरकार का जवाब आएगा, तब आप सुनिएगा।

अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): मैं सो नहीं रहा हूं, एक घंटे से सुन रहा हूं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: गांव में जब तक हर पंचायत इकाई पर, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस कार्यक्रम का कोई फायदा नहीं। कई जगह तो गांव में डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, ये सभी व्यवस्थाएं हों। यदि आदमी का स्वास्थ्य सही होगा तो तभी वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के सभी संसाधनों पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। पानी स्वच्छ करने के लिए भी सस्ते साधन मुहैया हों। एक्वागार्ड जैसी चीजें उत्पाद-शुल्क से मुक्त हों, ताकि लोग स्वच्छ जल पी सकें। इस प्रकार के उपकरण सस्ते हों, ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके और स्वच्छ जल पी सके क्योंकि गंदे व प्रदूषित जल से स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां होने का अंदेशा रहता है। इसके अलावा जो गंदी नालियां हैं और कूड़े-कचरे के ढेर होते

हैं, जिनसे बरसात के बाद कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि कई प्रकार की बीमारियों और प्रदूषण से बचा जा सके। औद्योगिकीकरण जितना विकसित होगा उतने ही रोजगार के अवसर विकसित होंगे और उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों के लिए यू॰पी॰ए॰ सरकार वचनबद्ध है। गरीबी दूर करने के लिए, अगर हम कहें तो यही सबसे बड़ा वायदा है कि राजस्व घाटा इस दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे गरीबों की संख्या में काफी कमी आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार गरीबी उपशमन के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी इस देश की प्रमुख समस्याओं में से है। इसके साथ ही महिलाओं को बेरोजगारी से बचाने के लिए स्वसहायता समूहों का गठन हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है। इस देश में महिला श्रमिक बहुत हैं। मैंने राजस्थान में देखा है कि सड़कों पर और खेत में महिलाओं का प्रतिशत मजदूरी में अधिक है, तो महिलाओं को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। जिस प्रकार से आज वे पंचायतों में राज कर रही हैं, उनकी भागीदारी हुई है। उसी प्रकार महिला श्रमिकों, महिला उद्यमियों के स्वास्थ्य पर और उनकी मजदूरी पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनको पूरी मजदूरी मिले। मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भावना, हमारे संविधान के उच्चतम आदर्श हैं और भारतीय समाज के उच्चतम मूल्य हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। इनमें कोई भी सामाजिक भेदभाव न हो। शिक्षा के इतने उपायों के बाद भी, इतने वर्षों बाद, यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। चाहे लड़के-लड़कियों का भेदभाव हो, चाहे वह नारी की शिक्षा संबंधी भेदभाव हो, चाहे नारी के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में भेदभाव हो, चाहे समाज में ऊंच-नीच का भेद-भाव हो, जाति सम्प्रदाय का भेदभाव हो, ये भेदभाव समाप्त हो। क्योंकि इस महान देश की यह सांस्कृतिक विरासत है, 'अनेकता में एकता'। यह देश एक रहे, अखंड रहे। मान्यवर, आज यह बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इस देश के एक मुख्यमंत्री के कारण हमें शर्मिन्दगी हुई है कि अमेरिका जैसे देश ने प्रतिबंध लगाया है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज: आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार: आज जो यहां पर बोल रही हैं, तो फिर उसमें यह क्यों कह रही हैं। ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं सामाजिक समरसता की बात कर रही हूं। ...(व्यवधान)...क्यों प्रतिबंध लगाया गया? ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): आपको जो बोलना है, बोलिए, लेकिन हमने क्लीन चिट ली है। ...(व्यवधान)...

4-00 P.M.

डा॰ प्रभा ठाकुर: मुझे इस बात पर आपत्ति है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): प्लीज, प्लीज, प्रभा जी ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: अगर कोई मुख्यमंत्री यह कहता है कि गुजरात ...(व्यवधान)...का सवाल है ...(व्यवधान)... गुजरात का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। ...(व्यवधान)... गुजरात के बहुत लोग अमेरिका में हैं....(व्यवधान)... वहां रोजगार से जुड़े हैं और वहां किसी पर भी पाबंदी नहीं है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): प्रभा जी, आप अपने विषय पर बोलिए और समाप्त करिए।

डा॰ प्रभा ठाकुर: देश के एक मुख्यमंत्री पर अगर रोक लगाई जाती है ...(व्यवधान)... अफसोस हमें भी है। हमें दुख है इस बात का, हमें चिंता है इस बात की ...(व्यवधान)... एक मुख्यमंत्री की ऐसी ...(व्यवधान)... स्थिति बनी है, आखिर क्यों बनी है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द) बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... प्रभा जी, आप अपने विषय पर बोलिए, please conclude.

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं कनक्लूड कर रही हूं ...(व्यवधान)...

श्री जगदीश टाइटलर: वह आप ही की बात कह रही है कि बड़ा दुख है ...(व्यवधान)... बोल तो रही हैं कि बहुत दु:ख है ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं 1984 के दंगों के आरोपी हैं ...(व्यवधान)... हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आरोपी नहीं है *...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं आपको बताऊं कि विदेशों में रह रहे लाखों गुजरातियों को भी इस बात का दु:ख है कि * उनके यहां ऐसा मुख्यमंत्री हुआ, जिसके कारण पूरे देश को गुजराती समाज को आज शर्मिन्दा होना पड़ा। * यह स्थिति क्यों बनी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: अगर वे देश के विकास की बात करें तो हम सुनेंगे लेकिन इसमें गुजरात कहां से आ गया ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: इस बात का दु:ख हमारी सरकार को भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात

* Expunged as ordered by the Chair

पर चिंता जताई है, लेकिन यह विचार का विषय है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर किसी देश में इस तरह प्रतिबंधित किया जाता है तो यह पूरे देश के लिए *.....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): प्रभा जी, आप अपने विषय पर बोलिए, please conclude.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I am on a point of order. Sir, the hon. Member has mentioned my name. I would like to put this on record that there are seven commissions. There is not a single FIR; there is not a single complaint on my name. It is more because of political reasons; I am not talking about any others. So, I want his mentioning of my name should be taken out of the record because I don't want to make it an issue. I don't think the hon. Members were listening to the hon. Member, Dr. Prabha Thakur. She said that * they have stopped a Chief Minister. She is taking your side. You are not listening to her. You just heard *name. She never said anything against. * She said that he is a Chief Minister of a State of India, and he should not be treated the way he has been treated. शोर मचाकर बैठ गए ...(व्यवधान)... Never; never. She said *

श्री जयन्ती लाल बरोट: माननीय मंत्री जी, 1984-85 में सारे न्यूजपेपर्स भरकर आते थे ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: पेपर से क्या होता है ...(व्यवधान)...

SHRI JAGDISH TYTLER: That is why I said—I make a statement now even that even if you can bring it 20 years back ...(*Interruptions*) I say, 20 years back ...(*Interruptions*) It is gone. You can * and all these things. What are you talking? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Minister, you have made your point. Now, the Resolution has been moved by Dr. Prabha Thakur. There are three other speakers on this Resolution. Now, I identify Shri Kripal Parmar. (*Interruptions*)

डा॰ प्रभा ठाकुर: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आज एक आत्मविवेचना की जरूरत है, ऐसी स्थिति क्यों बनी, यह सोचने की बात है। हम महसूस करते हैं और वहां रहने वाले गुजरात के लोग बहुत * शर्मिन्दगी महसूस कर रहे होंगे। यह स्थिति नहीं बननी चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि–

अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए,

कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।

---

* Expunged as ordered by the Chair

श्री कृपाल परमार: उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रभा ठाकुर जी द्वारा पिछड़े क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम लगभग 45 मिनट से प्रभा जी के वक्तव्य को शब्दश: सुन रहे थे। यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसको किसी प्रदेश या दलगत राजनीति में बांधकर नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा संकल्प है जिस पर कोई भी राजनीतिक दल विपरीत दिशा में नहीं सोच सकता। जब संकल्प प्रभा ठाकुर जी का हो और उनका वास्ता राजस्थान से हो और बात सूखाग्रस्त से शुरू न हो, यह भी हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर जिस चीज की कमी होती है, उन्हीं लोगों को उस चीज की कीमत का सही मूल्यांकन होता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आजादी के 50 साल बाद भी अभी विकास का मुँह ढंग से नहीं देख पाए हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि हिन्दुस्तान में 70 फीसदी लोग कृषि का पेशा करते हैं, और सिंचाई की ठीक सुविधाएँ नहीं होने के कारण, वर्षा ठीक अनुपात में नहीं हो पाने के कारण, किसान खेत में हल जोतता है, बीज डालता है, कर्ज लेकर उसमें खाद डालता है, लेकिन जब पानी नहीं मिलता तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वही उसके कर्ज के बोझ के कारण उसकी आत्महत्या का कारण बनता है और यहीं से शुरू होती है उसके क्षेत्र के पिछड़ेपन की कहानी।

श्रीमती ठाकुर ने सूखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब मुद्दों को छूने का प्रयास किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इन सब विषयों का कोई मूल कारण है, उस क्षेत्र के पिछड़े होने का कोई मूल कारण है, तो वह है उस क्षेत्र में पीने के पानी का नहीं होना और सिंचाई की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से नहीं मिल पाना। मान्यवर, मैं हिमाचल से आता हूँ और हिमाचल वह प्रदेश है जहाँ पानी की नदियाँ बहती हैं और वही नदियाँ जब नीचे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एंटर करती हैं तो विवाद का कारण भी बनती हैं। मेरे प्रदेश में ऊँचे-ऊँचे बर्फ से लदे हुए पहाड़ हैं, पाँच प्रमुख नदियाँ हिमाचल से निकलती हैं और उसके बावजूद भी हिमाचल का बहुत सा इलाका ऐसा है, जहाँ ठीक से बारिश न हो पाए तो सूखाग्रस्त हो जाता है। मान्यवर, राजस्थान वह प्रदेश है, जहाँ सबसे कम बारिश होती है और मैं उस क्षेत्र से सम्बन्धित हूँ, जहाँ चेरापूँजी के बाद जिला काँगड़ा में, धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन ठीक जल प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण जहाँ राजस्थान के लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वहीं चेरापूँजी, धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसका मूल कारण यह है कि जब पानी गिरता है, बारिश के पानी का उपयुक्त जल प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण पानी नदियों में और नदियों से वापस समुंदर में चला जाता है और जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर हम पानी की तलाश में कुआँ खोदते हैं। मान्यवर, मेरा मानना है कि अगर गुजरात और राजस्थान का कुछ क्षेत्र

छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में इतनी बारिश होती है कि एक परिवार की छत पर पूरे साल में इन्द्र देवता की तरफ से इतना पानी गिरता है, अगर उसको रोक लिया जाए तो उस परिवार के पूरे साल की समस्याओं का समाधान उस पानी से हो सकता है। लेकिन हम पहले उसको गिरने देते हैं, बहने देते हैं, पानी जमीन के अन्दर जाने देते हैं, उसके बाद कुआँ खोदने चलते हैं, यही हमारी समस्या का कारण है।

मान्यवर, प्रभा ठाकुर जी ने नदियों को जोड़ने की बात की। 1960 के दशक में सबसे पहले दस्तूर प्लान नामक एक आइडिया के रूप में लोगों के बीच में आया था, जिसे एनडीए की सरकार ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तहत लिया। यह सरकार भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जो काम राष्ट्रहित में होते हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए होते हैं, उन्हें सरकारें बदलने से रुकना नहीं चाहिए।

मान्यवर, गुजरात प्रदेश का जिक्र किसी और संदर्भ में आया। नरेन्द्र मोदी जी को किसी और रूप में याद किया गया।

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा मुख्य मंत्री ...(**व्यवधान**)... मैंने तो अपना दुख प्रकट किया है।

श्री कृपाल परमार: चलिए, हम आपके दुख में शरीक हैं। गुजरात की सरकार ने पूरे देश के सामने वर्षा के जल-प्रबंधन के बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सौ दिन के अंदर पूरे प्रदेश में एक लाख खेत तालाब बनाए और उनमें पानी रोककर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। महोदय, मेरा मौजूदा सरकार से गिला है कि उस उदाहरण को उन्होंने अडोप्ट तो किया, लेकिन पूरे साल में पूरे देश में एक लाख तालाब बनाने की योजना रखी। यह तो 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना बहुत बढ़िया है। इसलिए उसमें यह न देखा जाए कि वह कहां पर शुरू हो? महोदय, उसके कई लाभ हैं, जिस गांव में तालाब होता है, उस गांव के कुएं भी नहीं सूखते क्योंकि तालाब का पानी सीपेज (रीसकर) होकर 50-60 फुट फिल्टर होकर शुद्ध पानी गांव के कुएं में जाता है। इससे जहां उस पानी का इस्तेमाल कृषि के लिए होता है वहीं पशुओं के पीने के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल होता है और इस तरह उससे लोगों की प्यास भी बुझती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने इस प्रयास को मोटे पैमाने पर पूरे देश में किया है, इसे आप बड़े पैमाने पर लाएं ताकि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। महोदय, अगर लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले तो कई बीमारियां अपने आप हट जाएंगी क्योंकि वे दूषित पानी पीने से होती हैं। मैं इस ओर खास तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम देशभर के सारे किसानों को सिंचाई के पानी की सुविधा दे पाएं तो मुझे लगता है कि भुखमरी, प्यास और पिछड़ेपन की जो बातें इस संकल्प में हैं, वे भी तभी दूर होंगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा।

महोदय, मैं जाते-जाते अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश की एक व्यथा व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि श्रीमती प्रभा ठाकुर का ताल्लुक राजस्थान से है और मेरा हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल प्रदेश के उस क्षेत्र से है जहां पर ब्यास नदी पर पौंग स्थान पर बांध बनाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। यह झील 80 स्क्वैयर किलोमीटर में है। यहां से पानी राजस्थान को मोड़ा गया है। महोदय, मैं भी पौंग डैम के विस्थापितों में से एक हूं और उनकी व्यथा बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब 25 साल पहले उस बांध का निर्माण हुआ था तो राजस्थान की सरकार ने एक इकरार किया था कि जो उस बांध से विस्थापित होंगे, उनको राजस्थान में 25 एकड़ भूमि देकर बसाया जाएगा। उन पौंग विस्थापितों की व्यथा यह है कि आज भी राजस्थान में बहुत से ऐसे विस्थापित हैं जिनको अभी तक जमीन अलॉट नहीं हुई हैं। तब से लेकर आज तक राजस्थान की सरकारों और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहार हिमाचल के विस्थापितों के साथ ठीक नहीं है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, खासकर प्रभा ठाकुर जी से कि हिमाचल के जो लोग आपको पानी पिलाने के लिए, आपकी भूमि को हरा-भरा करने के लिए वहां से विस्थापित हुए, उनका उचित मान-सम्मान राजस्थान की सरकार करे। उनका जो मान-सम्मान है, वह राजस्थान सरकार करे। ...(व्यवधान)...

श्री जय राम रमेश (आन्ध्र प्रदेश): वहां आपकी ही सरकार है।

श्री कृपाल परमार: मैं कह रहा हूँ कि 25 साल से ऐसा हो रहा है। यह 25 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। सरकार तो सरकार होती है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। मैं यह व्यथा राजस्थानियों और हिमाचलियों की बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)... आपने नहीं देखा। आप वहां आइए, हम आपको दिखाएंगे।

श्री जय राम रमेश: यह जिम्मेदारी किस की है? राजस्थान सरकार की है या हिमाचल सरकार की है?

श्री कृपाल परमार: सभी की है। जो समझौता था, वह दो सरकारों के बीच हुआ था, लेकिन अभी तक वहां पर हिमाचल के लोगों को बसाया नहीं गया है। वहां पर प्रशासनिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि और पानी हिमाचल से उनको आए, तो जो पहले वहां पर विस्थापित बचे हुए हैं, उनको मान, सम्मान और इज्जत के साथ आपको बसाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रभा ठाकुर जी के इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, डा॰ प्रभा ठाकुर जी ने जो संकल्प

यहां प्रस्तुत किया है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के पचास साल बाद भी इस देश के अंदर जो संविधान का मूल उद्देश्य था, जो संविधान की मूल भावना थी, उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कल्पना जो भारत के लोगों ने की थी, जिसमें हमने सोचा था कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम करने के बाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। इन पचास सालों में कई राज्य, कई क्षेत्र पिछड़ गए। जो विकास का एक रास्ता था, जो विकास की एक गति चल रही थी, उस विकास की गति में कुछ क्षेत्र पिछड़ गए, पीछे रह गए। इसके लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए, जिससे उनका पिछड़ापन दूर कर सकें।

महोदय, पिछड़ेपन का एक मूल कारण प्राकृतिक आपदा भी रहा है। चाहे वह कम वर्षा के कारण अकाल पड़ा हो या कहीं सूखा पड़ा हो। मैं जिस राज्य से आता हूँ उस राज्य के अंदर लगातार 20/25 सालों से अकाल पड़ता रहा है, लेकिन उस अकाल का मुकाबला करने के लिए हम इतने सालों में कोई ठोस योजना नहीं बना पाए हैं ताकि सूखे से किसान की रक्षा की जा सके, किसान की खेती की रक्षा की जा सके, किसान के पशुधन की रक्षा की जा सके, किसान के लिए खाने और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर सकें। सरकार हमेशा सूखे से प्रभावित प्रदेशों के लिए आर्थिक सहायता देती है, लेकिन उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर पाई है कि यदि वर्षा न भी हो तो किसान की खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो सके, उसके पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, उसके खाने के लिए अनाज की व्यवस्था हो सके, उसके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। इस तरह की कोई परमानेंट व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब प्राकृतिक आपदा या बाढ़ आ जाती है, तो किसान का नुकसान होता है, जिस एरिया में बाढ़ आती है, वह एरिया पिछड़ जाता है और वहां का किसान अपने कृषि के संसाधनों से वंचित हो जाता है। कृषि की जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण वह खराब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा भी किसान के पास नहीं होता है। इसका मूल कारण एक ही है कि हमारी ऐसी कोई ठोस नीतियां नहीं हैं, जिनसे कि हम प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा कर सकें और जिस एरिया में आपदा आती है, वह एरिया पिछड़ा न रहे। आज इस प्रकार की ठोस नीतियों की आवश्यकता है, तब जाकर जो एरिया पिछड़ गए हैं, उनका विकास हो सकता है। राजस्थान तो विशेषकर पिछड़ा हुआ प्रदेश ही है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, परमानेंट सोल्यूशन के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि राजस्थान जैसा राज्य, जो हमेशा सूखाग्रस्त रहता है और कभी-कभी जहां बाढ़ भी आ जाती है, अब कि बार ओले पड़ गए, जो थोड़ा-बहुत किसान ने बोया था, वह भी साफ हो गया, कभी पाला पड़ जाता है, इन आपदाओं के कारण पिछड़ा न रहे। इस पिछड़ेपन का

एक कारण यह है कि सरकार कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाई, जिसके माध्यम से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया जा सके। इन प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान होता है और किसान इसलिए होता है, क्योंकि इस देश की 70 फीसदी आबादी खेती पर आधारित है, वह खेती से ही अपना जीविकोपार्जन करती है और जब खेती बर्बाद हो जाती है तो उससे ये सारे 70 फीसदी लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान की खेती की रक्षा करे, उसको प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक ठोस योजना बनाए और उसको लागू करे। अफसोस इस बात का है कि 50-55 साल बाद भी हम कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। इसलिए डा॰ प्रभा ठाकुर जो संकल्प लाई हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभा जी ने साथ ही किसान की, कृषि की बात की है। आज कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, लेकिन हमारे पारम्परिक जो सिंचाई के साधन थे--कुएं, तालाब आदि, सूखे के कारण आज जल-स्तर इतना नीचे चला गया है कि वे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सब सूख गए हैं। सिंचाई की बात छोड़िए, उपसभाध्यक्ष जी, पीने के लिए पानी मिलना भी दुर्लभ हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार की ओर से पाताल तोड़ कुएं बनाने की योजना बननी चाहिए, ताकि किसान को खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सके। सरकार ने नदियों को जोड़ने की जो बात कही है, यह एक अच्छी योजना है, इससे कुछ सोल्यूशन निकलेगा। इससे किसान को सूखे से राहत मिलने की आशा है क्योंकि नदियां जब जुड़ जाएंगी तो जिस एरिया में अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, उसका मुकाबला करने के लिए किसान को पानी मिल जाएगा। तो यह शुरुआत, जो यू॰पी॰ए॰ की गवर्नमेंट करने जा रही है, यह अच्छी भावना और उद्देश्य के साथ होनी चाहिए और इसे जल्दी से लागू किया जाना चाहिए, इसमें देरी न की जाए क्योंकि ज्यादा प्रभावित हमारा प्रदेश रहता है। इस साल आशा थी कि शायद राजस्थान में सूखा नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में वर्षा नहीं होने के कारण वहां सूखा हो गया, जो थोड़ा-बहुत बचा था, वह ओलावृष्टि से साफ हो गया। इसलिए किसान के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था सरकार करे। राजस्थान जैसे प्रदेश को देखें तो हम इस देश के अन्दर अभी तक भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। राजस्थान, उड़ीसा और भी कई अन्य ऐसे प्रदेश हैं, जहां आज भी पीने के पानी का संकट है, जहां हम पीने के लिए शुद्ध पानी आज तक भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आज राजस्थान में पानी तो है, लेकिन खारा या कड़वा पानी है। हम ऐसे यन्त्र भी नहीं लगा पाए कि उस पानी को मीठा कर सकें। हम ये कैसी योजनाएं बना रहे हैं और कैसी योजनाएं लोगों का उपलब्ध करा रहे हैं? हर वर्ष हम पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कितना पैसा, कितना बजट देते हैं! हमारी योजनाएं क्या हैं? यह सब पैसा कहां जा रहा है? जितना पैसा आज तक इन योजनाओं के लिए दिया गया है, यदि पूरे पैसे को जोड़ा जाए, जो इन पचास वर्षों में राजस्थान को पीने के पानी के लिए दिया गया है, उस पैसे में तो लोगों को परमानेंट पानी की सुविधाएं मिल सकती थीं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह सारा पैसा कहां गया। इसलिए जब योजनाओं के लिए पैसा दिया जाए,

तो उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि, जब पैसा दिया जा रहा है जो सही काम हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जल स्तर नीचे चला गया है कि जो 200-200 फीट बोरिंग करके हैंड पम्प लगाए गए थे, वे भी सूख चुके हैं। इसलिए राजस्थान के गांवों में पानी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिस ओर सरकार ने यदि अभी से ध्यान नहीं दिया, तो आने वाली गर्मी तक लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने पड़ेंगे और दूसरे गांवों की ओर जाना पड़ेगा जहां पर पानी के साधन उपलब्ध हैं। इसलिए पिछड़ेपन का मूल कारण ये सभी चीजें रही हैं। हमारी कृषि, हमारा किसान इस देश में बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे हैं। किसान मेहनत करता है, किन्तु उस मेहनत का लाभ किसान को नहीं मिलता, बीच में बैठा हुआ बिचौलिया उसका फायदा उठाता है। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार जिन न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, वे सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। मेरे साथी नाराज होंगे, किन्तु मुझे कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि राजस्थान में सरसों का समर्थन मूल्य 1700 रुपये घोषित किया गया है, लेकिन आज वहां की सरकार द्वारा उस सरसों को खरीदने के लिए जो एजेंसियां लगाई गई हैं, वे उसे 1400 रुपये में खरीद रही हैं। सरकारी रिकॉर्ड में तो 1700 रुपये दिखाए जा रहे हैं, किन्तु किसान को 1400 रुपये दिए जा रहे हैं। पूछिए आप राजस्थान की सरकार से।

श्री जयन्ती लाल बरोट: मीणा जी, आप अपनी बात कहिए, महाराष्ट्र की सरकार से पूछिए, क्या वे भी कपास को कम दामों पर परचेज़ नहीं करते हैं? इसलिए दूसरों की नहीं, आप अपनी बात करते रहिए। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: मैं कोई बात कह रहा हूं, आप तो सुनना भी पसन्द नहीं करते, ...(व्यवधान)... यह आप क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान)...। वह हमारी गवर्नमेंट है, हम कहने को उसे भी कह सकते हैं, लेकिन यह आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... इसका मतलब है कि लूट कर खाओ और आंख मीच लो। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: क्या आप यह जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: नहीं, तो क्या आंखें मीच लें। इसका मतलब यह है कि लूटो और खाओ। ...(व्यवधान)... कमाल करते हैं आप! हमारी सरकार भी अगर कहीं गड़बड़ी कर रही है तो हम उसके लिए भी कहेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं, उसकी बात तो कहें। आपको उस सरकार से यह कहना चाहिए।

पहले समझा जाता था कि बिचौलिया, जो बीच में रहता है, वही गड़बड़ी करता है, लेकिन यहां पर तो सरकार स्वयं बीच में है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और सरकार को बताएं कि इस प्रकार

का आरोप राजस्थान में सरसों की खरीद में लगाया जा रहा है। समर्थन मूल्य की घोषणाएं समय पर नहीं की जाती हैं, और यदि की भी जाती हैं, तो किसान को पैसे की तुरन्त आवश्यकता होती। खेती ज्यों ही पैदा होती है, वे तुरंत ही उसे मंडी में जाकर बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में समर्थन मूल्य का लाभ कौन लेता है? यह वही बिचौलिया लेता है जो मंडी में जाकर उसे खरीद लेता है। इसीलिए हमको नीतियां बदलनी पड़ेंगी, हमें इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप बीच के बिचौलियों को (व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: उपसभाध्यक्ष जी, इस सभा का कोरम नहीं है, मैं आपसे कोरम की विनती करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष जी, इसमें कभी कोरम की आवश्यकता नहीं रही है। ...(व्यवधान)... सर, प्राईवेट मेम्बर्स रिजॉल्युशन में कभी कोरम की आवश्यकता नहीं रही है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): मीणा जी, आप कंटीन्यु करिये। यह कनवेंशन है कि कोरम का मुद्दा प्राईवेट रिजॉल्युशन के दौरान उठता नहीं है। ...(व्यवधान).. वैसे भी सदन अभी 4.45 बजे उठने वाला है। मीणा जी, आपने 15 मिनट के करीब समय ले लिया है, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी समाप्त करें जिससे कि अगले स्पीकर भी बोल सकें।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में गांधी जी का सपना था कि गांव के अंदर हर आदमी को आजादी की जानकारी हो, जब तक गांवों में यातायात के लिए सड़क, शिक्षा के लिए स्कूल-कालेज, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय नहीं होंगे, तब तक सही मायने में हमारी आजादी का मकसद पूरा नहीं होगा। समानता हमारे संविधान की मूल भावना है, जिसकी हम बात करते हैं, जब तक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिणिक समानता गांव के लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक गांवों में समानता नहीं आ सकती है। सरकार ठोस नीतियां बनाकर इस देश के गांवों को आगे बढ़ाये, गांव के लोगों की जो मूल आवश्यकता है, जो मानव की मूल आवश्यकता है, उनको गांवों के अंदर लाया जाये, इनकी गांवों में व्यवस्था करें, तभी इस संकल्प का मकसद पूरा हो सकता है। यह जो पिछड़ेपन का संकल्प लाया गया है, इस संकल्प का मुकाबला तभी हो संकता है, जो राज्य पीछे रह गये हैं, उनको आगे लाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें उनके लिए साधन उपलब्ध करवाये जायें। डॉ प्रभा ठाकुर जी जो संकल्प लाई हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है। उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I support this Resolution, moved by Dr. Prabha Thakur, which is very relevant at this juncture when we are going for market economy. Sir, she has mentioned

about some backward areas, especially, Rajasthan, Orissa and she also referred to Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Maharasthra, Gujarat, Andhra and other places. But I will take as a specimen case my own area, which is a drought-hit area, an area in Tamil Nadu, which is a part of the revenue district of Pudukottai, Sivaganga and Ramnad. These three districts are hit by drought every year. The water scarcity is there, irrigation facilities are not properly maintained, but you can very easily find out, Sir, that these areas are giving the richest person in the world. In Asia and in the world, you can take Murugappa group, or M.A.M. Ramasamy, or Chettiar, who is here as one of the Members, all these richest persons hail from this area. I known that the same thing happens in Rajasthan, Orissa and other places are represented by many Members of Parliament and also Members of Legislative Assemblies. Even though we have got three revenue districts, there are seven Rajya Sabha MPs from these districts. Especially from Sivganga itself, there are six Rajya Sabha MPs and three Lok Sabha MPs. And, continuously, one or the other Member representing that area will be a Union Minister, especially, a Cabinet Minister in the Union Government. I can very easily mention that the Finance Minister of this day is also hailing from the, same district. Another Minister in the Union Council of Ministers, namely, Mr. Regupathy, is also hailing from the same district. We can very easily say that in spite of so much representation, in spite of having 27 MLAs from that area, one or the other Minister of the State Government will be from that area, the Chief Secretary of the State is also from that district, still there is drought. Many of the IAS Officers, many of the planners, many of the architects, many of the academicians, who are working in the United States of America, U.K. and Canada and other Western countries and Eastern countries are hailing from that district. There are many MPs and Ministers in Sri Lanka, Malaysia and Singapore and at other places who are hailing from that district. In the State of Maharashtra also, there are Ministers who hail from that district. This district has a lot of richness in the academic side; so much representation is decision making bodies, but that district is reeling under drought. What does it mean? What is the reason of it? Where is the mistake? We have alrady gone through ten Five Year Plans, excepting one holiday in the Five Year Plan. From the Seventh Five Year Plan, we had also started the DPADS, the Drought Prone Area Development Scheme, and a lot of drinking water schemes were implemented for digging wells and also for maintaining the irrigation tanks. In my district alone, there are about 4500 irrigation

tanks. There are so many schemes, irrigation works, which have been going on. But even then, there is a drought. Sir, the reason is, there is nothing, but giving the powers to the people. People at the Panchayati Raj level should be given the money. The money which is now coming from the Union Government or the State Government should directly go to the Panchayats and they should be responsible for maintaining their natural wealth. They also have to create wealth by doing afforestation and maintain the natural wealth which is available there for the last fifty years or even hundred years. As far as natural wealth is concerned, earlier, they were rich States. Therefore, I would like to say that planning of various programmes is a good thing, but the implementation is very poor. When we do planning, we do it sitting in Delhi. Sitting in Delhi, we plan about drought-hit areas. We go on telling that so and so programmes have been started; so many crores of rupees have been spent on this area for the last so many years and all sorts of things. Now, there is a Resolution stating that 'we do not have any drinking water'. Is it not pitiable situation to say that drinking water is not available? Our State, especially, my district, is covered by the sea also, the Bay of Bengal. There are plenty of schemes for utilising the sea water in the Arabian countries, the richest countries, where they are using it even for the Kings and other people who are sitting on the golden chair. ...*(Interruptions)*... There, they are utilising the sea water for drinking purposes. They have put up desalination units there, and all the rich people in the Arabian countries are utilising only the sea water for drinking purposes. But here, are we utilising that water? We are surrounded on three sides by water. Water is available, but the desalination units are not there. Now, the question is whether we are utilising it. The nature has given the water, but that water is not utilised. Now, the multi-national companies like Coca Cola, Pepsi, etc., are coming forward. They are taking out all the underground water which is available there. My district also has a Coca Cola unit. They have started to take the underground water. Therefore, due to this reason the underground water is coming and the entire district is now hving the saline water even for irrigation purposes, drinking purposes. etc. Now, for the drinking purposes, the sea water is available, not the pure water.

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय, आप लीडर ऑफ अपोज़िशन को इनफॉर्म कर दीजिए कि यहां अपोज़िशन में कोई नहीं है। अपोज़िशन नहीं होता है, तो देखने वालों को और दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): चलिए, अभी समय समाप्त होने वाला है।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, यह बहुत महत्वपूर्ण रिज़ॉल्यूशन है और...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: सर, ऐसा लगता है कि अपोज़िशन ने वॉकआउट किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नाथ कोविन्द): अभी तो कोरम का इश्यू आपने उठाया था और अब अपोज़िशन का इश्यू उठा रहे हैं, You please sit down. Mr. Natchiappan, please continue.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, therefore, I would like to stress upon the first part of the Resolution, which says that the backward and poor areas, regions and the States should be given priority in the long-term Action Plan. That is a very important thing. We have to plan in which way that area is to be provided with drinking water, whether it has to be utilised only from the ground water, or whether we can utilise water, which is available in some other form, that is in the form of sea water, or waters from the Himalayas could be utilised for Rajasthan. But we do not think on that line. We think only of water, which is available now in the form of rivers. We are diverting that water for drinking purpose. We can very well say that the Supreme Court has given an order saying that if there is a dispute between Haryana and Punjab over the waters of Yamuna river, and if there is a demand for drinking water in Delhi, you have to give priority to the drinking water and not to agriculture. What is happening now? The Yamuna river is not having water throughout the year. If you look at the river, you find it only as drainage water and not as a river. The beautiful Taj Mahal, one of the Seven Wonders of the World, is surrounded by only sands, not the Yanuma river. This is happening because, in the name of providing drinking water, we are pumping out all the water for our daily chores, the household affairs; we are using that water for purposes other than drinking. Therefore, there should be a clear restriction that says that drinking water should be utilized only in such a form and the other water should be used only for the purpose of irrigation.

If water is used for irrigation, it would provide richness to the soil, richness to the earth and provides more wealth to the nation by way of plantations, which can be raised there, afforestation could be done and lot of fruit-bearing trees could be raised. We are losing this wealth. I am giving the example of my own district, which had a lot of fruit-bearing trees, but it could not be properly maintained, because the water available was used for drinking purposes and not for irrigation.

Sir, our region is fed by the Vaigai river as also by the Periyar river of Kerala. But those waters are taken away by the nearby districts, which are covered by Dindigul, Anna and Madurai districts. They are utilising that water for drinking purposes. Thus, the irrigation for these areas is continuously being ignored. Therefore, there is continuous drought in these districts. Even though the natural source of water is available to us, it is not being used for the purpose of irrigation, for agricultural purposes, but for other purposes. Therefore, we are losing the richness of earth; it becomes a sandy area.

Scientists are saying that gradually, if the same thing continues for another fifty years, one-third of India would be converted into sandy region like the Sahara. That is what the researchers are telling us. We have faced the tsunami. One researcher says that one millimetre is drifting towards Indonesia.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Please, wind up your speech.

E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Yes, Sir. Sir, the distance between Indonesia and India is narrowing.

Finally, Sir, I wish to make four points. One is that the Government of India is choosing the economic free zones, they should choose these areas which have been declared backward areas. When the erstwhile President of USA, Mr. Clinton, came to India and addressed the Members of Parliament, he said that the criterion is not the distance but where you are starting the industry. The economic free zones could be located in such backward districts as Sivagangai and other areas, so that foreign money could be invested there. They are ready to have transport facilities there, whether it is the sea route, or, the air route, or rail route, or, the land route. They are ready to spend the money. We need not go only to the metropolitan cities. Therefore, when the economic free zones are created, this should be the priority.

Secondly, these areas are having the richest temples, churches and mosques. This is a tourist spot. There is a saying in our language, which means that there should not be a village without a temple. Therefore, we have so many temples. Such types of things are there.

Thirdly, educational institutions are coming up in these areas. The educational aspect could also be developed. Fourthly, health care units can be developed in these areas. These four areas can be concentrated where we can have attention and see that water is not utilised for other purposes. It should be utilised for irrigation purpose.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Natchiappan, you please continue on the next Private Members' day allotted for Resolutions. Further discussion on this Resolution by Dr. Prabha Thakur will continue on Friday, the 29th April, 2005. Now, I have to make an announcement. Please, take your seat.

RECOMMENDATION OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, the 24th March, 2005 has allotted one hour for consideration and passing of the Hire Purchase (Repeal) Bill, 2005.

The House is adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 18th April, 2005.

The House then adjourned at forty-six minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 18th April, 2005.

MGIPMRND—1161RS—24-09-2005.